बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक........................

श्री विश्वजीत कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–751/2024, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता–सह–खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, नवादा सम्प्रति उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध नवादा जिला अन्तर्गत मेसर्स विभा राज प्रा० कंस्ट्रक्शन लि० के अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा समर्पित पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं करने से संबंधित आरोप पत्र खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना पत्रांक–5947 दिनांक 31.10.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–21134 दिनांक 14.11.2025 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 18.12.2025) प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

तदुपरांत सम्यक विचारोपरांत खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–2151 दिनांक 31.01.2026 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 18.02.2026) प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से इनका कहना है कि संबंधित लिपिक/कर्मी द्वारा कार्यालय में पत्र प्राप्त करने के उपरांत उक्त पत्र को मेरे समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण मेरे द्वारा अग्रत्तर कार्रवाई नहीं किया जा सका।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी कर्मी द्वारा इनके समक्ष पत्र का उपस्थापन नहीं किया गया, जबकि इनके विरूद्ध कार्यालय/पत्र का पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है। पर्यवेक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। यदि श्री कुमार अपने कार्यालय में प्राप्त पत्रों/संचिकाओं का ससमय/नियमित परीक्षण/पर्यवेक्षण किया होता तो विपरीत परिस्थिति नहीं होती, जिसके लिए वे दोषी हैं।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री विश्वजीत कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–751/2024, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता–सह–खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, नवादा सम्प्रति उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है तथा प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के तहत **"01 (एक) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–26/2025 सा०प्र०, 5587 **/पटना, दिनांक** 24.3.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/श्री विश्वजीत कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–751/2024, उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं 29/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट (मुख्य शीर्ष–09) पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.26

सरकार के अवर सचिव।

Path- E:\New folder -08\J.P SIR New\Sanklap.docx